वृद्धजन देखभाल क्षेत्र में रोज़गार के अवसर

डॉ. आर. गिरिराज

भारत में वृद्ध व्यक्तियों अर्थात 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है. वृद्धों की संख्या में, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या का 6.7 प्रतिशत मानी जाती है, 2021 तक 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की आशा है. इसका भारत जैसे विकासशील देश के लिये पेंशन परिव्यय, स्वास्थ्य देखभाल ख़र्चों, वित्तीय अनुशासन, बचत स्तरों आदि सहित विभिन्न सामजिक मोर्चों पर काफी दबाव हो सकता है. इसके अलावा जनसंख्या का ये हिस्सा अनेक प्रकार की चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करता है. अतः वृद्धजनों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत में लगातार इज़ाफा हो रहा है.

यद्यपि वृद्धों की देखभाल भारतीय संस्कृति के मूल्यवान सिद्धांतों में पहले से ही समाहित है, वृद्धों की सामाजिक, आर्थिक, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के दृष्टिगत देखभाल करना एक चुनौती बन गया है. ऐसा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और अनुपम दीर्घायु सुधारों के बावजूद है. वृद्धजनों की देखभाल के लिये समर्थित वातावरण के सृजन के बावजूद, भारत सरकार वृद्धजनों के लिये सक्रिय और उत्पादक जीवन जीने के लिये समर्थित वातावरण के सृजन के लिये नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. वृद्धजनों से संबंधित मुद्दों के संबंध में नोडल मंत्रालय के तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुनियादी नीतिगत दिशानिर्देश और उनके कार्यान्वयन के लिये रूपरेखा उपलब्ध करवाता है. यह केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय और राज्य सरकारों, ग़ैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संस्थानों आदि जैसे हितधारकों के साथ समन्वय भी करता है.

समस्या की तीव्रता

वर्तमान में विश्व में वृद्धजनों की सर्वाधिक संख्या एशिया में है. वृद्धजनों की बढ़ती जनसंख्या का ये दबाव अगले 50 वर्षों में और सघन होने की आशा है. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत अर्थात 104 मिलियन है. 2026 तक वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 12.4 प्रतिशत अर्थात 173 मिलियन पहुंच जाने की आशा है.

2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष और ऊपर की आयु के लोगों का हिस्सा 121.05 करोड़ में से 10.38 करोड़ है जो कि कुल जनसंख्या का 8.57 प्रतिशत बनता है. 62.31 करोड़ पुरुष जनसंख्या में से वृद्ध पुरुषों की संख्या 5.10 करोड़ है जो कि 8.20 प्रतिशत होती है जबकि 58.74

(शेष पृष्ठ 56 पर)

महत्वपूर्ण सूचना

रोज़गार समाचार का मूल्य **6 फरवरी, 2016** से संशोधित करके **प्रति कॉपी 12/- रु.** कर दिया गया है.

रोज़गार समाचार की नई अंशदान दरें निम्न प्रकार होंगी:-

वार्षिक	**रु. 530/-**
दो-वर्ष	**रु. 1000/-**
तीन-वर्ष	**रु. 1400/-**

संशोधित छूट व्यवस्था निम्नानुसार है:

19 प्रतियों तक	**कोई डिस्काउंट नहीं**
20-99 प्रतियां	**25%**
100-250 प्रतियां	**35%**
251 और इससे अधिक प्रतियां	**40%**

अधिक विवरण के लिये कृपया देखें: **www.employmentnews.gov.in**

महाप्रबंधक-सह-मुख्य संपादक

011-26104705 (प्रसार), 26108979 (लेखा)

वृद्धजन देखभाल ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

करोड़ में से महिलाओं की संख्या 5.28 महिला वृद्धजन हैं, जो कि देश में महिलाओं की कुल जनसंख्या का 8.99 प्रतिशत होता है.

आयु संभाव्यता में लगातार हो रही वृद्धि का अर्थ है कि अब अधिक संख्या में लोग लंबा जीवन जीते हैं. पिछले वर्षों के दौरान स्वास्थ्य देखभाल में सामान्य सुधार वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात में लगातार वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण है. उनके लिये न केवल लंबा बल्कि एक सुरक्षित, गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है.

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 41 में प्रावधान है कि राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता के मामलों में और अन्य अनापेक्षित मामलों में सरकारी सहायता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी व्यवस्था करेगा.

माता-पिताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिये आवश्यकता आधारित देखभाल और उनके कल्याण के लिये दिसंबर 2007 में मातापिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव एवं कल्याण अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया. अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं: (क) बच्चों/संबंधियों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को अधिकरणों के जरिये अनिवार्य और न्यायपूर्ण कर दी गई. (ख) संबंधियों द्वारा अनादर किये जाने पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण का निरसन. (ग) वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिये दंडात्मक प्रावधान (घ) ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धजन आश्रमों की स्थापना और (ङ) वरिष्ठ नागरिकों के लिये पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा.

वृद्धजनों के बारे में राष्ट्रीय नीति

भारत सरकार ने वृद्धजनों की भलाई सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की. नीति में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और विकास में समान भागीदारी, अपमान और उत्पीड़न से संरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी समर्थन का प्रावधान किया गया है.

राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद

नीति के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद 1999 (एनसीओपी) का गठन किया गया.

वृद्धजनों के लिये समेकित कार्यक्रम

नोडल मंत्रालय समेकित वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी) की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन करता है. योजना के अधीन परियोजना लागत की 90 प्रतिशत और राज्य के मामले में 95 प्रतिशत की वित्तीय सहायता सरकारी/गैर सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों आदि को ओल्ड ऐज होम्स, डे केअर सेंटरों और मोबाइल मेडिकेअर यूनिटों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिये उपलब्ध करवाई जाती है. योजना के अधीन सहायता के लिये पात्रता हेतु कई अभिनव परियोजनाएं शामिल की गई हैं, इनमें से कुछेक हैं:- विश्राम देखभाल गृह और सतत् देखभाल गृह, अल्जाइमर बीमारी/डिमेंशिया रोगियों के लिये डे केअर सेंटरों का संचालन, वृद्धों के लिये फिजियोथेरेपी क्लीनिक, वृद्धों के लिये हेल्पलाइन और काउंसलिंग केंद्र, बच्चों के लिये विशेष तौर पर स्कूलों और कालेजों में संवेदीकरण कार्यक्रम, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, वृद्धजनों की देखभाल करने वालों के लिये प्रशिक्षण, वृद्धजनों और देखभाल करने वालों के लिये जागरुकता सृजन कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशनों का गठन करना आदि.

अन्य मंत्रालयों के कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना (आईजीएनओएपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत ग़रीबी रेखा से नीचे के घरों के 60 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति को 200 रु. प्रति माह और 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 500 रु. प्रति माह की दर से पेन्शन का भुगतान किया जाता है और मैचिंग अंशदान/समान अंशदान राज्य सरकार देती हैं. मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना भी आरंभ की है जिसके तहत 65 वर्ष और अधिक आयु के निराश्रित व्यक्तियों को प्रति माह 10 कि.ग्रा. तक खाद्यान्न (गेहूं अथवा चावल) उपलब्ध करवाया जाता है जो अन्यथा वृद्धावस्था पेन्शन के लिये पात्र हैं परंतु इसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों को कई सरकारी अस्पतालों और निदान केंद्रों में वृद्धजनों के लिये अलग पंक्तियों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है. मंत्रालय राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) का कार्यान्वयन कर रहा है. वित्त मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों को कर लाभ प्रदान कर रहे हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर वृद्धजनों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी प्रकार की उपेक्षा, अपमान और हिंसा से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिये तत्काल उपाय करने को कहा है. रेल मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जैसे कि 60 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिये अलग टिकट काउंटरों की व्यवस्था, पुरुष (60 वर्ष) और महिला (58 वर्ष) वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में क्रमशः 40 और 50 प्रतिशत की रियायत तथा वृद्ध यात्रियों के लिये स्टेशनों पर व्हील चेअर की व्यवस्था. नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एअर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत तक विमान किराये में छूट प्रदान करता है. पेन्शन मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके आवेदन की स्थिति, पेन्शन की राशि, अपेक्षित दस्तावेज, यदि कोई है, आदि के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिये एक पेन्शन पोर्टल की स्थापना की है. विधि और न्याय मंत्रालय ने देश के उच्च न्यायालयों को वृद्धजनों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने और उनका तेज़ी से निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं.

वृद्धों के संबंध में विशेषज्ञ सेवा

वृद्धजन देखभाल व्यवसाय समाज विज्ञान संकाय, विशेषकर समाज कार्य शिक्षा के छात्रों के लिये अधिक उपयुक्त है. समाज कार्य एक पेशेवर सेवा है जिसमें वृद्धजनों सहित विभिन्न व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और उनके कल्याण के लिये कार्य करना होता है. वृद्धों की काफी संख्या जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियों जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय और फेफड़े संबंधी रोगों से ग्रस्त है. उन्हें अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिये व्यावसायिक सहयोग/देखभाल की आवश्यकता होती है. अतः वृद्धजन देखभाल वृद्धों की रोज़मर्रा देखभाल जरूरतों के लिये पेशेवर सहायता उपलब्ध करवाने से संबंधित एक व्यवसाय के तौर पर उभरकर आ रहा है और इसके लिये तकनीकी ज्ञान और अनुभव के अलावा अधिक ध्यान, समर्पण और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है.

वृद्धजन देखभालकर्ताओं के लिये महानगरों में रोज़गार की अधिक संभावनाएं हैं. पूर्व में वृद्धों की देखभाल को अपने परिवार की जिम्मेदारी के तहत आने वाला कर्त्तव्य माना जाता था. ये व्यवहार अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है. लेकिन शहरी क्षेत्रों में विशेषकर केरल, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में वृद्धजन अपने बच्चों की देखभाल के बिना ही जीवनयापन कर रहे हैं. इस तथ्य के मद्देनज़र कि ऐसे 70 प्रतिशत वृद्धजनों को, जो एक या अन्य अथवा अधिक रोगों से ग्रसित हैं, अपने रोज़मर्रा की गतिविधियों के संचालन के लिये जीवन सहायक मदद की जरूरत होती है. आवधिक बीमारी से प्रभावित वृद्धजन, सभी प्रकार के डिमेन्शिया के साथ जीवन जी रहे लोग, पार्किन्शन्स की बीमारी आदि से प्रभावित व्यक्तियों के लिये विशेषीकृत व्यक्ति केंद्रित देखभाल की आवश्यकता होती है. इन स्थितियों ने लघु अवधि और दीर्घावधि देखभालकर्ताओं, बैडसाइड सहायकों, दिन में और चौबीसों घण्टे देखभाल करने वाले पेशेवरों के लिये व्यापक अवसर सृजित किये हैं. इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईएसडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जरूरतमंद वृद्धजनों की सहायता के वास्ते वृद्धजन देखभाल करने वालों का सामान्य पूल तैयार करने के लिये वृद्धजन देखभाल के संबंध में पात्र व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में जुटा है. एनआईएसडी वृद्धजनों की देखभाल के संबंध में पात्र व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है. इसके अलावा यह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इम्फाल, बंगलुरु, हैदराबाद और कोयम्बत्तूर में स्थित अपने क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्रों के जरिये भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है.

ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जो वृद्धजनों की देखभाल पर केंद्रित इस तरह आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण संचालित करते हैं. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का वृद्धजन देखभाल प्रभाग एक विशिष्ट संस्थान है, जो उपरोक्त उभरती ज़रूरतों को पूरा किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित विषयक्षेत्रों में स्वनिर्धारित पाठ्यक्रम संचालित करता है:-

1. वृद्धावस्था देखभाल पर तीन माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम न्यूनतम 10वीं पास व्यक्तियों के लिये संचालित किया जाता है. उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये इच्छुक व्यक्ति, विशेषकर विवाहित महिलाएं, विधवाएं, वृद्धजनों, किन्नरों के लिये कार्य करने के इच्छुक लोग भी इस पाठ्यक्रम के लिये आवेदन कर सकते हैं और घरों में वृद्धों की देखभाल करने वालों/ उनके लिये कार्य करने वाले कार्यकर्ता के तौर पर काम कर सकते हैं. देश में विस्तारित हो रहे ओल्ड एज होम्स में भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं. इसके अलावा उन्हें अस्पतालों और वृद्धजन देखभाल के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों में सहायक के तौर पर भी नियुक्त किया जा सकता है.
2. +2 अर्हता रखने वालों के लिये वृद्धावस्था देखभाल पर छह माह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है. संबंधित गैर सरकारी संगठनों में वृद्ध देखभालकर्ताओं/उपशामक सहायक और पर्यवेक्षकों के तौर पर कार्यरत देखभाल इकाइयों सहित ओल्ड ऐज होम्स/डे केअर सेंटरों में रोज़गार की व्यापक क्षमता है.
3. स्नातक अर्हता रखने वालों को समेकित वृद्धजन देखभाल में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईजीसी) संचालित किया जाता है. पीजीडीआईजीसी उनके लिये ओल्ड ऐज होम्स में वृद्धजन देखभाल प्रबंधकों के तौर पर कार्य करने और विशेषीकृत सेवाएं जैसे कि सहायता आवश्यकताओं, समस्याओं और पात्रता देखभाल योजना मूल्यांकन करने, ऐजिंग, स्क्रीनिंग, व्यवस्थापन पर अनुसंधान तथा गृह सहायता और अन्य सेवाओं की निगरानी संबंधी कार्यों में मददगार होगा. यह वित्तीय, कानूनी अथवा चिकित्सा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने, भविष्य की समस्याओं से बचने के लिये विशेषज्ञों के पास रेफरल सुविधा प्रदान करने और परिसंपत्तियों के संरक्षण, संकट प्रबंधन, चीजों के व्यवस्थित संचालन तथा परिवारों को समस्याओं के प्रति चौकन्ना करने की सुविधा प्रदान करता है. इसके अलावा अपने ग्राहकों को सेवानिवृत्ति की जटिलताओं से उबारना, रहन-सहन सुविधा में सहायता, पुनर्वास सुविधा अथवा नर्सिंग होम सुविधा, ग्राहक और परिवार को शिक्षा तथा परामर्श प्रदान करना और काउंसलिंग तथा समर्थन प्रदान करना शामिल है. उनके लिये वृद्धजनों से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में भी कार्यक्रम सहायक/समन्वयकों के तौर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं.

ऊपर वर्णित प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि और विषयवस्तु के आधार पर उनका अपना स्वयं का परिभाषित मानदंड है. न्यूनतम बुनियादी अर्हता रखने वाले युवा उपयुक्त पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं और इसे पूरा करने के उपरांत उन्हें वृद्धजनों की देखभाल से संबंधित इस उभरते बाज़ार में समाहित कर लिया जायेगा. संस्थान वृद्धजनों की विशेष उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये और अधिक विकल्पों को भी तलाश रहा है.

लेखक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली में उपनिदेशक (वृद्धावस्था देखभाल) हैं.